लोकतंत्र समीक्षा

खण्ड 38 अंक 1-4 जनवरी-दिसम्बर, 2006

सम्पादक मण्डल

अध्यक्ष

श्री राम निवास मिर्धा

सम्पादक

प्रौफेसर अश्वनी कुमार बंसल

सहायक सम्पादक

डॉ. रविन्द्र सिंह

सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान

नई दिल्ली

आतंकवाद उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध प्रयास आवश्यक

जयकुमार मिश्र

अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोग विभिन्न साधनों को अपनाते रहे हैं, इन्हीं साधनों में से एक है, "हिंसा या आतंक का सहारा लेने मे विश्वास"। आतंक का सहारा जब व्यक्तिगत विचार, प्रक्रिया या सिद्धान्त के रूप में लिया जाता है तो इसे जनता का समर्थन नहीं मिलता। किन्तु जब यह विचार ढेर सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें अपने विचारों का अनुयायी बना देता है और वे अनुयायी अन्धश्रद्धा से प्रेरित होकर कार्रवाई (Action with Plan) की ओर अग्रसर होते हैं और धीरे-धीरे इस प्रेरणा के वशीभूत होकर जब संघर्ष एवं बलिदान के लिए भी तैयार हो जाते हैं तो आतंक का विचार एक 'विचारधारा' के रूप में अर्थात् 'आतंकवाद' (ISM) में परिवर्तित हो जाता है और यह विचारधारा एक आन्दोलन में परिणित हो जाती है।

एक साधन या प्रक्रिया के रूप में 'आतंक' द्वारा उधेश्य की प्राप्ति का सिद्धान्त मानव सभ्यता के आविर्भाव काल से ही चला आ रहा है, किन्तु एक विचारधारा के रूप में 'आतंकवाद' का अभ्युदय आधुनिक काल की देन है। 'आतंक' को अंग्रेजी में जिस 'टेरर' शब्द से जाना जाता है, वह वास्तव में, फ्रेंच भाषा से उद्भूत है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम मैक्समिलियन राबस्पियरे ने 1789 ई० की फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद किया था।

विश्व में जहाँ कहीं भी आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, उनके कार्यों के पीछे कोई-न-कोई माँग है। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है, जो अपनी माँगों को मनवाने के लिए प्रायोजित एवं योजनाबद्ध ढंग से हथियार व हिंसा का सहारा लेने में विश्वास करती है। जितने भी देश आतंकवाद से पीड़ित हैं यदि वहाँ कार्यरत आतंकवादी संगठनों की माँगों का वर्गीकरण किया जाये तो स्पष्ट होगा कि इनकी माँगों का स्वरूप तीन प्रकार का है।

प्रथम प्रकार के आतंकवादी संगठन वे हैं जो सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए हथियार का सहारा लिए हुए है, जैसे भारत के विभिन्न भागों में सक्रिय नक्सलवादी गुट। ये लोग वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था के स्थान पर ऐसी नवीन सामाजिक-आर्थिक संरचना का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें आदिवासियों एवं समाज के दुर्बल वर्गों का भला हो। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में पूँजीपतियों को 'खलनायक' के रूप में जब चित्रित किया, तभी से तथाकथित 'सर्वहारा वर्ग' को हथियार उठाने का एक दार्शनिक आधार मिल गया है।

द्वितीय प्रकार के संगठन वे हैं जिनका लक्ष्य राजनीतिक परिवर्तन अर्थात् राजनीतिक नेतृत्व या शासन की प्रक्रिया में बदलाव लाना है। जैसे कि नेपाल के पूर्ववर्ती माओवादी संगठन। ये लोग वहाँ राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर साम्यवादी शासन स्थापित करने के लिए हथियार उठाए हुए थे।

किन्तु उपरोक्त दोनों प्रकार के संगठन अपनी प्रऔति में पृथकवादी (अलग राज्य/देश बनाने की माँग) नहीं है।

तृतीय प्रकार के आतंकवादी संगठन वे हैं जो अपनी समस्या का समाधान अलग राष्ट्र में ढूँढ़ते हैं, जैसे कि श्रीलंका में लिट्टे या कश्मीर में काम कर रहे अलगाववादी गुट।

पृथक देश की माँग करने वाला आतंकवादी आन्दोलन मुख्यतः तीन आधारों पर चलाया जाता है। प्रथम, जातीय आधार पर अलग राज्य की माँग, जैसे तमिलों द्वारा श्रीलंका में की जा रही माँग। द्वितीय, राष्ट्रीयता के आधार पर पृथक देश की माँग, जैसे चेचेन्या के विद्रोही गुटों की माँग और तृतीय धार्मिक आधार पर अलग देश की माँग जैसा कि कश्मीर के चरमपंथी इस्लामी आतंकवादियों द्वारा की जा रही कार्रवाई, जिसे वह 'जेहाद' कहते हैं।

आतंकवाद में विश्वास रखने वाला चाहे कोई भी संगठन हो, या उसकी कोई भी माँग हो, या कोई भी आधार, किन्तु एक बात सर्वमान्य है कि आतंकवाद अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों से मुँह मोड़ चुका होता है और इसी कारण वह जनसमुदाय के समर्थन के लिए बल प्रयोग का सहारा लेता है, जिससे वह शान्ति एवं कानून व्यवस्था के लिए गम्भीर खतरा बन जाता है। आतंकवादी संगठन बहुसांस्औतिक सामाजिक संरचना एवं लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में कोई आस्था नहीं रखता है।

आतंकवादियों की जो माँग सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से सम्बद्ध है या वह माँग जो राजनीतिक संरचना या नेतृत्व में बदलाव से जुड़ी है, इन दोनों माँगों या समस्याओं का समाधान कोई भी राज्य अपनी सीमा के भीतर 'आन्तरिक मामला' कहकर हल कर सकता है। किन्तु जब आतंकवादी गुट देश का विभाजन कर एक पृथक स्वतंत्र देश की माँग करने लगें और उनकी इस माँग को पड़ोसी देश समर्थन देने लगें तो बात एवं विवाद 'अन्तर्राष्ट्रीय' प्रऔति का हो जाता है। ऐसी स्थिति में 'आतंकवाद' किसी देश को परेशान

करने का एक साधन बन जाता है। यह आतंकवाद का प्रायोजित स्वरूप है। यह अप्रत्यक्ष युद्ध का अभिनव तरीका है। इस पद्धति में नवयुवकों को धन का लालच देकर या दबाव डालकर उन्हें आतंकवादी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता है, आक्रमण व सुरक्षा की विभिन्न कलाओं में उन्हें दक्ष किया जाता है और फिर शत्रु देश में आतंक फैलाने के लिए भेज दिया जाता है। अल-कायदा, हरकत-उल-अंसार आदि जेहादी गुट इसी पद्धति से आतंकवादियों की फसल तैयार कर चेचेन्या, फिलीस्तीन, कश्मीर आदि जगह भेजते रहते हैं। आतंकवाद का यह सबसे क्रूर व घृणित रूप है।

प्रायोजित आतंकवाद से जुड़ी हुई एक और समस्या है। आज आतंकवादियों की ऐसी माँग को जो किसी 'राज्य' के विभाजन से सम्बन्धित है, उसे प्रायः दो आयामों या दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है। जो राज्य आतंकवाद से ग्रस्त व त्रस्त हैं, वह इसे अपना 'आन्तरिक मामला' मानते हैं तथा वे राज्य जिनका इस राज्य से बेहतर सम्बन्ध नहीं है या शत्रु सदृश सम्बन्ध हैं, वे पृथक राज्य इस की लड़ाई को 'आत्मनिर्णय के अधिकार' से जोड़कर देखते और परिभाषित करते हैं। इन देशों के नेता कनाडा में क्यूबेक प्रान्त की लड़ाई या स्पेन के वास्क क्षेत्र में काम कर रहे पृथकतावादी संगठन 'एटा' या आयरलैण्ड में संघर्ष कर रहे लोगों के आन्दोलन को 'आत्मनिर्णय के अधिकार' से जोड़कर नहीं देखते किन्तु चेचेन्या संघर्ष तथा कश्मीर में जारी हिंसा आदि को आत्मनिर्णय के अधिकार से जोड़कर देखते हैं। आतंकवाद एक ऐसी रणनीति है, जो कम लागत (Low cost strategy) वाली है। प्रत्यक्ष युद्ध में भारी धन-जन हानि की सम्भावना बनी रहती है तथा इस प्रकार का प्रत्यक्ष युद्ध कोई भी छोटा राष्ट्र किसी बड़े व शक्तिशाली राष्ट्र से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह पराजित हो जायेगा जबकि आतंकवाद की रणनीति ऐसी है जिसमें कम कीमत पर अधिक सफलता व प्रचार मिलने की सम्भावना रहती है। आतंकवाद से परेशान कोई भी देश हमेशा 'अनिश्चय की स्थिति' में रहता है, वह एक ओर तो समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान का प्रयास करता है, इसके लिए वार्ताएँ, सम्मेलन आदि का आयोजन करता है, जिससे कि राज्य को हिंसा व विभाजन से बचाया जा सके, तो दूसरी ओर उसे जनता के दबाव में कभी-कभी आक्रामक रणनीति भी अपनानी पड़ती है।

आतंकवादी नागरिकों पर हमला करके विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। उनकी रणनीति रहती है कि वे समाचार-पत्रों की सुर्खियों में बने रहें क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही वे अपनी कारगुजारियों को प्रकट करके एक भय का माहौल बनाते हैं। आतंकवादियों की ये सारी कार्रवाईयाँ न केवल जनता की मानसिकता को प्रभावित करती हैं, अपितु उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी 'दबाव' डालती हैं। आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में कोई भी पूँजीपति धन का निवेश नहीं करना चाहता और न ही वहाँ विदेशी पूँजीनिवेश की ही कोई सार्थक सम्भावना बन पाती है। कोई पूँजीपति कश्मीर या लेबनान या फिलिस्तीन या ईराक या अफगानिस्तान जैसे आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में पूँजी

क्यों लगाना चाहेगा? सरकार भी इस दिशा में इसलिए नहीं सोच पाती है, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो उस राज्य की कानून-व्यवस्था को ही सम्भालने में लगा रहता है। परिणामतः आतंकवाद पीड़ित वह राज्य विकास की दौड़ में अन्य राज्यों से पिछड़ जाता है।[1] वास्तव में आतंकवाद का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह आर्थिक प्रगति को पंगु बना देना है। इन सभी कारणों से आतंकवाद पीड़ित राज्य के निवासियों को रोजगार की तलाश में और साथ ही बेहतर भविष्य की सुरक्षा के लिए उस राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में बसना पड़ता है। परिणामतः एक ओर तो आतंकवाद से त्रस्त वह राज्य अपने बहुमूल्य मानवीय संसाधनों से वंचित होता चला जाता है तथा दूसरी ओर उन राज्यों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगता है जो कानून व्यवस्था में तथा औद्योगिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। आतंकवाद को समाप्त करने के प्रयास में सरकारें जो धन खर्च करती हैं वस्तुतः वह जनता से वसूले गए किसी टैक्स से नहीं आता, शिक्षा, चिकित्सा, आवास जैसे मूलभूत क्षेत्रों में कटौती करके ही जुटाया जाता है। इससे राज्य लोककल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा वाले विषयों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते।

आज पूरे विश्व में मात्र एक महाशक्ति है - अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विश्व की सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उसकी बात आसानी से सुनी व मानी जाती है। अतः आतंकवाद पर उसका दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है। आतंकवाद पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी दोहरे मापदण्ड वाला ही है। 11 सितम्बर 2001 के पूर्व कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन पर अमेरिका प्रायः मौन रहता था, किन्तु फिलीस्तीनी आतंकवादियों के विरुद्ध वह बहुत मुखर रहता था। इजराइल जब फिलीस्तीनी आतंकवादियों पर प्रहार करता था तो उसे 'शान्ति स्थापना हेतु आवश्यक कदम' या 'आत्मरक्षार्थ उठाया गया कदम' कहकर समादृत किया जाता था किन्तु जब कश्मीर में सुरक्षा-बल आतंकी गुटों के साथ मुठभेड़ में उन्हें मार गिराते तो मानवाधिकारों की दुहाई दी जाती। किन्तु 11 सितम्बर, 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टॉवर पर हुए आक्रमण के बाद अमेरिका की मानसिकता में परिवर्तन हुआ है और वह यह मानने लगा है कि आतंकवाद कोई क्षेत्रीय या किसी एक या कुछ देशों की समस्या न होकर वैश्विक समस्या है। लेकिन अभी भी इस बात में संशय में बना हुआ है कि जिस प्रकार अमेरिका ने अपने यहाँ हुए विध्वंश के बाद तालीबान एवं अल-कायदा के घर अफगानिस्तान में जाकर बमबारी की और तथाकथित रूप से अलकायदा के नेटवर्क को ध्वस्त किया, यदि भारत भी इसी प्रकार की कार्रवाई पाक स्थित आतंकवादी प्रशिक्षण कैम्पों के विरुद्ध करता है, तो क्या अमेरिका भारत की इस कार्रवाई का समर्थन करेगा? शायद नहीं, क्योंकि जब संसद पर हमले के

---

[1] उदाहरणार्थ कश्मीर और उत्तर-पूर्व के राज्यों में भारत सरकार ने एक भी बड़ी परियोजना शुरू नहीं की है। त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, अरुणांचल आदि राज्य आज भी केन्द्र सरकार से बराबर आर्थिक पैकेज माँगते रहते हैं, वे अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर नहीं बना पाये हैं।

बाद भारतीय सेनाओं ने सीमा की ओर कूच किया था तो अमेरिका का यह दबाव था कि युद्ध न हो और अन्ततः वही हुआ।

आतंकवाद पर दोहरे मापदंड और आतंकवाद को प्रायोजित करने के अतिरिक्त आतंकवाद के उन्मूलन के मार्ग में एक नई चुनौती यह उभरी है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे आतंकवादी गुटों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित हो रहे हैं। भारत के असम में काम कर रहे आतंकवादी संगठन 'उल्फा' एवं श्रीलंका के आतंकी गुट 'लिट्टे' के पारस्परिक सम्बन्ध और नेपाल के माओवादी एवं भारत के नक्सलवादी गुटों के बीच मित्रता बढ़ रही है। चीन के सीक्यांग क्षेत्र में काम कर रहे आतंकियों की सांठगांठ पाक स्थित आतंकी गुटों से बढ़ी है। अल-कायदा ने अपने नेटवर्क का विस्तार इन्डोनेशिया व मलेशिया तक कर लिया है। आज इन आतंकवादी गुटों के बीच सिर्फ हथियारों की ही खरीद फरोख्त नहीं होती, वरन् यह मित्रता युवकों की भर्ती एवं उन्हें प्रशिक्षण देने तक विस्तृत हो चुकी है। इसी कारण चेचेन्या में मारे जा रहे आतंकवादियों में अनेक सुडान, फिलीस्तीन एवं पाकिस्तान की राष्ट्रीयता/नागरिकता रखते हैं। यही स्थिति कश्मीर की भी है। आतंकी संगठनों की ताकत एवं मारक क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। अमेरिकी लेखिका जेसिका स्टर्न[2] ने अपनी पुस्तक 'द अल्टीमेट टेररिस्ट्स' में लिखा है कि आज राष्ट्रों द्वारा परमाणु हमले का भय भले ही न हो, लेकिन आतंकवादियों के हाथों में आज इतनी शक्ति है कि वे सामूहिक नरसंहार के कार्य करने में सक्षम हैं। इन हथियारों की जानकारी पुस्तकों में तथा इंटरनेट पर उपलब्ध है। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी संगठनों ने रासायनिक तथा जैविक हथियार प्राप्त कर लिए हैं और कुछ ने उनके प्रयोग के लिए षड़यन्त्र भी रचे हैं तथा धमकियाँ भी दी हैं। अब औषिजन्य पदार्थों को विषाक्त करना, मवेशियों को संक्रमित करना, रेलगाड़ियों व विमानों में जहरीली गैस छोड़ना आसान हो गया है। जैविक हथियार परमाणु हथियारों के बराबर ही क्षति पहुँचा सकते हैं। आज आतंकवादी संगठन इंटरनेट के माध्यम से अपने लिए धन जुटा रहे हैं, युवकों की भर्ती कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का वे जितना प्रयोग (दुरुपयोग) कर सकते हैं, कर रहे हैं। आतंकी संगठन बैंकों का प्रयोग करने लगे हैं तथा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। इससे आतंकवाद का जो भयानक स्वरूप उभरता है, उससे 'आतंकवाद' किसी एक देश या क्षेत्र के लिए खतरा न होकर सम्पूर्ण मानव सभ्यता व संस्कृति के अस्तित्व के लिए ही चुनौती बनता प्रतीत हो रहा है।

दुर्भाग्य की बात यह है कि आतंकवादी गुटों की पारस्परिक निकटता के बावजूद विश्व के देशों या सरकारों के बीच आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर कोई भी एकीकृत योजना या कार्यक्रम नहीं है। सरकारें आतंकवाद विरोधी वैश्विक गठबन्धन बनाने में असमर्थ रही हैं।

---

2 जेसिका स्टर्न अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्य रह चुकी हैं।

11 सितम्बर के हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद ने दो प्रस्ताव - प्रस्ताव संख्या 1368 तथा प्रस्ताव संख्या 1373A - पारित किये थे। 12 सितम्बर 2001 को सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 1368 पारित करके सभी प्रकार के आतंकी गतिविधियों की निन्दा की थी और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से यह आग्रह किया था कि वे आतंकवादी कार्रवाईयों को रोकने के लिए अपने प्रयासों को दुगुना करें। प्रस्ताव संख्या 1373A, जो कि 29 सितम्बर 2001 को पारित हुआ था, उसके माध्यम से यह कहा गया कि आतंकी कार्रवाईयों को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद 'कोई भी कदम' उठा सकती है। लेकिन ये प्रस्ताव भी केवल शब्द बनकर ही रह गये हैं। यदि पूरे विश्व की बात छोड़ भी दें और केवल दक्षिण एशिया की बात करें तो देखेंगे कि भारत, नेपाल और श्रीलंका तीन देश आतंकवाद से ग्रस्त हैं किन्तु इन तीनों देशों के बीच आतंकवादियों से लड़ने के लिए 'समन्वित कार्यवाही' का अभाव है। आतंकवादियों से सम्बन्धित किसी भी सूचना या रणनीति की जानकारी का आदान-प्रदान नहीं होता।

प्रश्न उठता है कि 'आतंकवाद' की इस समस्या का समाधान क्या हो? इस संम्बन्ध में निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है -

1. "आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर परिभाषित किया जाय।" स्पष्ट परिभाषा के अभाव में कारगर रणनीति नहीं बनायी जा सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेन्टॉगन पर जब हमला हो तो उसे आतंकी कार्रवाई कहा जाय और जब भारतीय सुरक्षा बल आतंकवादियों से मुठभेड़ करें, तो उन्हें मानवाधिकारों का ध्यान रखने को कहा जाये। समूचे विश्व ने देखा कि भारतीय विमान के अपहरण के बाद विवश होकर जब भारत सरकार ने तीन आतंकवादियों को छोड़ा, तो वे पाक अधिकृत कश्मीर चले गये, किन्तु पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं डाला गया। भारतीय संसद पर हुए हमले में मारे गये आतंकवादियों का सम्बन्ध पाकिस्तान से था और यही नहीं, भारत में होने वाली अधिकांश आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों का हाथ रहता है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के विरुद्ध किसी कार्रवाई की बात नहीं सोचता। यह दोहरा मापदण्ड समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों से आतंकवादियों को प्रोत्साहन तथा लाभ मिलता है और मानवता संकटग्रस्त हो जाती है। वर्ष 2005 में भारत में कार्यरत उल्फा आतंकवादियों के भूटान स्थित प्रशिक्षण शिविरों एवं सैन्य अड्डों पर जिस प्रकार की कार्रवाई भूटान द्वारा की गयी क्या कभी पाकिस्तान भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगा? पाकिस्तान ने लाल मस्जिद से जिस प्रकार आतंकवादियों को भगाया, क्या उस प्रकार की कार्रवाई वह कश्मीर में सक्रिय चरमपंथी गुटों के विरुद्ध भी कर सकेगा? इन प्रश्नों पर न केवल भारत-पाक के सम्बन्धों का भविष्य निर्भर करता है वरन् दक्षिण एशिया का भाग्य भी इन प्रश्नों के समाधान पर निर्भर है।

2. आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों पर कड़े आर्थिक व राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाये जायें और ऐसे प्रतिबन्ध संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लगाये जायें, न कि किसी एक देश द्वारा।

3. आतंकवादियों के पास धन के तीन प्रमुख स्रोत हैं - हथियारों की तस्करी, नशीली दवाओं का व्यापार तथा स्वैच्छिक चन्दे के रूप में आया भारी धन। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि तालिबानों ने अफगानिस्तान में स्वयं को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए नशीली दवाओं के व्यापार का लम्बा-चौड़ा जाल बुना हुआ था। इन दवाओं को यूरोपीय देशों में बेचकर प्राप्त धन से उन्होने अपने संगठन को मजबूत बनाया। तालिबानों ने 'नार्को टेररिज्म' का जो सूत्रपात किया वह आज तक वहाँ फल-फूल रहा है। मध्य एशिया में अफीम, हेरोइन एवं कोकीन की बिक्री निरन्तर जारी है और इन पदार्थों के व्यापार पर माफिया तथा आतंकवादियों का आज भी नियन्त्रण है। हथियारों की तस्करी और नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने के लिए जो भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून हैं, उनका कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाये। ऐसे कार्यों में लिप्त लोगों को कठोर सजाएँ दी जायें जिससे कि स्पष्ट सन्देश मिले।

4. आतंकवादी हिंसा में लिप्त पाये लोगों का एक देश से दूसरे देश में प्रत्यर्पण सरल बनाया जाय और आतंकवादियों को दण्ड देने में न्यायालय शीघ्रता करें। यह बेहतर होगा कि उनके लिए पृथक न्यायालय बनाए जाने चाहिए।

5. कश्मीर सहित विश्व के किसी भी भाग में जारी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए वहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल-कूद आदि का एक आधारभूत सामाजिक ढाँचा (सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर) खड़ा किया जाये, वहाँ उद्योग धन्धे लगाकर व्यापक रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें। बेरोजगारी, आतंकवाद के आविर्भाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, संचार, शिक्षा आदि की व्यापक व्यवस्था की जाये जिससे लोग यह समझ सकें कि सरकार उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहती है। विकास के अभाव में नागरिकों को बहुत कुछ गलत सोचने का मौका मिलता है।